भारत सरकार

इस्पात मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1182

30 जुलाई, 2024 को उत्तर के लिए

इस्पात क्षेत्र

1182. श्री वाई.एस. अविनाश रेड्डी:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्यों में अधिक निवेश स्टेनलेस स्टील क्षेत्र के लिए पर्याप्त प्रतिबद्धता को दर्शाता है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या अगले कुछ वित्तीय वर्षों में स्टेनलेस स्टील की मांग में औसतन 10 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि होने की उम्मीद है, जो देश में पिछले पांच वित्तीय वर्षों में 4.5 प्रतिशत की वृद्धि दर से दोगुनी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और 2014 से स्टील क्षेत्र के विकास के लिए क्या सब्सिडी दी जा रही है; और

(ग) निजीकरण का ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

इस्पात राज्य मंत्री **(श्री भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा)**

(क) और (ख): इस्पात एक नियंत्रणमुक्त क्षेत्र है और उत्पादित इस्पात के प्रकार से संबंधित निर्णय अलग-अलग इस्पात उत्पादकों द्वारा बाजार मांग और अन्य वाणिज्यिक विचारों के आधार पर लिए जाते हैं। पिछले पांच वित्तीय वर्षों के दौरान भारत में तैयार कुल स्टेलनेस स्टील की खपत संबंधी आंकडे निम्नानुसार हैं और ये इन 5 वर्ष की अवधि के दौरान 4.36 % की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) को दर्शाते हैं:-

वर्ष	कुल तैयार स्टेनलेस स्टील की खपत (एमटी)	सीएजीआर
2018-19	3.03	-
2019-20	2.71	-10.56
2020-21	2.39	-11.81
2021-22	3.04	27.20
2022-23	3.43	12.83
2023-24	3.75	9.33
स्रोत: संयुक्त संयंत्र समिति; एमटी= मिलियन टन		औसतन सीएजीआर: 4.36%

जारी.....2

चूंकि इस्पात एक नियंत्रणमुक्त क्षेत्र है इसलिए वर्ष 2014 से इस्पात क्षेत्र को कोई सब्सिडी नहीं दी गई है। तथापि, इस्पात क्षेत्र के विकास के लिए एक अनुकूल नीतिगत वातावरण सृजित करने और 'मेक इन इंडिया' को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने निम्नलिखित पहल की हैं:-

i. सरकारी अधिप्राप्ति हेतु मेड इन इंडिया इस्पात को बढ़ावा देने के लिए घरेलू स्तर पर विनिर्मित लौह एवं इस्पात उत्पाद (डीएमआईएंडएसपी) नीति का कार्यान्वयन।

ii. सरकार ने देश में 'विशेष इस्पात' के विनिर्माण को बढ़ावा देने और पूंजीगत निवेशों को आकर्षित कर आयात को कम करने के लिए विशेष इस्पात हेतु उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना शुरू की है। पीएलआई योजना के तहत विशेष इस्पात हेतु 29,500 करोड़ रुपए का प्रत्याशित अतिरिक्त निवेश और विशेष इस्पात के लिए लगभग 25 मिलियन टन (एमटी) की अतिरिक्त क्षमता का सृजन अपेक्षित है।

iii. देश में इस्पात के उपयोग, इस्पात की समग्र मांग और इस्पात क्षेत्र में निवेश को बढ़ाने के लिए रेलवे, रक्षा, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस, आवासन, नागर विमानन, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग, कृषि एवं ग्रामीण विकास क्षेत्रों सहित संभावित उपयोगकर्ताओं के साथ और अधिक सहभागिता के साथ मेक इन इंडिया पहल और प्रधानमंत्री गति-शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान ।

iv. इस्पात बनाने हेतु अधिक अनुकूल शर्तों पर कच्चे माल की उपलब्धता को और अधिक सुगम बनाने के लिए अन्य देशों के अलावा मंत्रालयों व राज्यों के साथ समन्वय करना।

v. घरेलू स्तर पर उत्पन्न स्क्रैप की उपलब्धता को बढ़ाने हेतु स्टील स्क्रैप पुनर्चक्रण नीति को अधिसूचित करना।

vi. गैर-मानकीकृत इस्पात के विनिर्माण एवं आयात को रोकने तथा बड़े पैमाने पर आम जनता को गुणवत्तापूर्ण इस्पात उत्पाद उपलब्ध कराने के लिए 145 इस्पात गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों को अधिसूचित करना।

(ग): सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) के नीतिगत विनिवेश/निजीकरण संबंधी नीति आर्थिक सिद्धांत पर आधारित होती है जिसमें सरकार को ऐसे क्षेत्रों में निवेश बंद कर देना चाहिए जहां प्रतिस्पर्धात्मक बाजार पुराने हो गए हो और पूंजी का निवेश, प्रौद्योगिकीय उन्नयन और कुशल प्रबंधन पद्धतियों जैसे विभिन्न कारकों के कारण रणनीतिक निवेशकों के हित में ऐसे उद्यमों की आर्थिक संभाव्यता बेहतर ढंग से खोजी जा सकती है। नीतिगत विनिवेश बिक्री का तात्पर्य प्रबंधन नियंत्रण के साथ-साथ सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम में सरकारी शेयरधारिता की संपूर्ण या पर्याप्त बिक्री से है।

इस्पात संयंत्रों के निजीकरण का ब्यौरा :-

वर्ष	**सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम**	**विनिवेश का तरीका**
2022-23	नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड (एनआईएनएल)	नीतिगत विनिवेश/निजीकरण

****